

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH KUMAR

H NO. 62, WARD NO. 02 SASAHOLI, POST-
THANA- TILDA-NEVRA, RAIPUR, Chhattisgarh,
493114

रोल नं. : 001

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARAYAN DAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAMLESH SAHU

VILL- POST- SARANGPURKALA, TEH- BODLA,
KABIRDHAM, Chhattisgarh, 491995

रोल नं. : 002

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BUDHARU SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VISHESH KUMAR YADAV

VILL- MATIYARI, POST- JANJI, THANA- SIPAT,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 003

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JIVDHAN YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANOJ KUMAR KUSHRAM
BANDHWAPARA SATBAHINIYA MANDIR K
PICHE, ARVIND NAGAR, WARD NO. 63
SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 004

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAGHUVeer SINGH KUSHRAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK SAHU

VILL- CHECHAR, POST- MALDA, THANA-
KASDOL, BALODABAZAR, Chhattisgarh, 493344

रोल नं. : 005

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ARYAN

VILL- KANHARPURI, POST- KURUD, TEH-
KURUD, DHAMTARI, Chhattisgarh,

रोल नं. : 006

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJU SINGH

H NO. 15, WARD NO. 2, VILL-POST- PRATAPPUR,
TEH- NAVAGARH, BEMETARA, Chhattisgarh,
491337

रोल नं. : 007

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE SANTOSH SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANKIT ANJAN LAKRA

VILL- POST- MAHARAJGANJ, TEH-
BALRAMPUR, BALRAMPUR, Chhattisgarh, 497119

रोल नं. : 008

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PANKRASIUS LAKRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAJANAND

H NO 21 SAKTI NAGAR, DHURENA DIPKA,
KORBA, Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 009

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHUWAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHANDRAPAL BELCHANDAN

WARD NO. 8, GAURA CHOWK, VILL- SIBDI,
POST- BHARDAKALA, TEH- ARJUNDA, BALOD,
Chhattisgarh, 491225

रोल नं. : 010

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ONKAR BELCHANDAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HRISHABH SAHU

QTR NO-MD-645, DIPKA COLONY, SECL GEVRA
PROJECT , KORBA, Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 011

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SAROJ KUMAR SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIKAS CHANDRA

WARD NO-45, MURRA BHATTA ROAD, CHANDRA
CHOWK, HEMU NAGAR, BILASPUR, Chhattisgarh,
495004

रोल नं. : 012

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KRISHNA KUMAR CHANDRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ABHISHEK KUMAR DHRUWE

VILL-SENDARI, PO-JARELI, THANA-PATHARIA,
MUNGELI, Chhattisgarh, 495335

रोल नं. : 013

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHANDU RAM DHRUWE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VISHESH KUMAR YADAV

VILL-MATYARI, PO-JANJI, VIA-JAIRAMNAGAR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 014

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JEEVDHAN YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHNA KUMAR BHARAT
H.NO-327, WARD NO-05, DR. KHUBCHAND
BAGHEL NAGAR, NAGAR PALIKA NIGAM TIFRA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 015

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHIM PRASAD BHARAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JAI PRAKASH PATEL

C/O NIVEDITA YADAV, Q.NO. E-29, FOREST
COLONY, KOSHABADI, KORBA, Chhattisgarh,
495677

रोल नं. : 016

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

G R PATEL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL KUMAR

RAHUL KUMAR C/O JEERAN LAL PATEL, W.NO-61, AADARSH NAGAR, KUSHMUNDA, CHHATH GHAT (POOJATALAB KE PASS), KORBA, Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 017

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JEEVAN LAL PATEL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HARI SHANKAR SAHU

VILLAGE- MEGHAPARA, POST- CHILFI
BANGALA,TAH.- LORMI, MUNGELI, Chhattisgarh,
495115

रोल नं. : 018

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM JI SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SWATI SAHU

WARD NO. 13, MATA CHOWRA, PATEL
MOHALLA, DINDAYAL MANGLA , BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 019

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

OMPRAKASH SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VASUDEV YADAV

WARD NO-64, MAHAMAYA NAGAR, NAIYAPARA
BIRKONA, BILASPUR, Chhattisgarh, 495009

रोल नं. : 020

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HARI PRASAD YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAPINDRA TANDAN

SHYAM NAGAR, ITWARI BAZAR, DARRI, PO-
JAMNIPALI, KORBA, Chhattisgarh, 495450

रोल नं. : 021

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NUTAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKESH KUMAR YADAV

GRAM-MUDPAR, PO-KAPAN, TEH-AKALTARA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495552

रोल नं. : 022

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DILIP KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HITESH DUBEY

GRAM+PO-KONARGARH, THANA-MULMULA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495663

रोल नं. : 023

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARMESHWAR DUBEY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RITESH KISHORILAL MOURYA
PLOT NO-228, MOURYA BHAWAN, RAMNAGAR,
NAGPUR, Maharashtra, 440010

रोल नं. : 024

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KISHORILAL SHIVRATAN MOURYA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMKRISHNA JAISWAL

PAILPARA, WARD NO. 17 , POST+ TEH-
SARANGARH, SARANGARH-BILAIGARH,
Chhattisgarh, 496445

रोल नं. : 025

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DURGA PRASAD JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEVENDRA NATH SHRIVAS

VILL+ POST- BUNDELA, KHARAUD, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 026

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SURANDRA NATH SHRIVAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIKAS

214, WARD NO. 09, BHATAPARA, POST-
SHILADAHI, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,
495661

रोल नं. : 027

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HEMANT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK KUMAR GUPTA

AADARSH NAGAR WARD NO. 10, PANI TANKI KE
PAS, SIRGITTI, BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 028

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM KUMAR GUPTA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUNIL KUMAR NORGE

VIDUAT COLONY, KUSHWAHA BADA, TIFRA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495223

रोल नं. : 029

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DALGANJAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJAY KUMAR KENWAT
KENWAT PARA , POST- GOPALPUR,
MADWAMAHUWA, KORBA, Chhattisgarh, 495450

रोल नं. : 030

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARSADI RAM KENWAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAPIL DEV CHAUHAN

H.NO. 25, PHASE-2, AASTHA ENCLAVE,
KHAMTARAI, WARD NO. 58, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 031

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHABILAL CHAUHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUKHNANDAN

WARD NO. 16 CHOURI PARA JOBH KHOKHSA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 032

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM LALLA KASHYAP

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMESH KUMAR SAHU

VILL-POST- MATIYA, TEH- KASDOL, THANA-
GIDHORI, BALODABAZAR, Chhattisgarh, 493344

रोल नं. : 033

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BISAMBHAR LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DHANESHWAR JOSHI

WARD NO. 9, BARODA, RAIPUR, Chhattisgarh,
492015

रोल नं. : 034

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANBODH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH KUMAR MAHANT
1359 ANAND NAGAR BHAIROTAL WARD NO. 48,
KORBA, Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 035

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHAMRU DAS MAHANT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAMOD EKKHA
R/O RAJKUMAR SAHU KAILASH NAGAR
KAWARDHA, KABIRDHAM, Chhattisgarh, 491995

रोल नं. : 036

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SIMON EKKHA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LAXMI PRASAD

VILL- SONDIH, POST- CHANGORI, THANA- TEH-
AKALTARA, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,
495552

रोल नं. : 037

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ABHIMANYU SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGENDRA KUMAR

VILL-POST- BHOTHIDIH, TEH- MAGARLOD,
DHAMTARI, Chhattisgarh, 493662

रोल नं. : 038

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GOVIND PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JHANKAR PATAIL

MU-POST- MAUHAPALI, TEH- KHARSIYA,
RAIGARH, Chhattisgarh, 496661

रोल नं. : 039

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM AVTAR PATAIL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANISH MISHRA

W.NO.-15, H.NO.-15/410, NEAR HANUMAN VATIK
GARDEN, SAMAN NAKA, REWA, Madhya Pradesh,
486001

रोल नं. : 040

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ANIRUDH PD MISHRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ROHIT KUMAR YADAV

VILLAGE-BETRA, POST-RENGALE, TEHSIL-BAGICHA, JASHPUR, Chhattisgarh, 496224

रोल नं. : 041

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANESH RAM YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PARMANAND PATEL

SHIKSHAK COLONY, W.NO.-11, POST AND
TEHSIL- DONGARGAON, RAJNANGAON,
Chhattisgarh, 491661

रोल नं. : 042

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL KATENDRA

MIG II-38, W.NO.- 16, INDUSTRIAL STATE C.G.
HOUSING BOARD, BHILAI, DURG, Chhattisgarh,
490026

रोल नं. : 043

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOJIRAM KATENDRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHNA KUMAR KUJUR

GRAM-KHAMHAR (PAKUTPARA), PO+TEH-
LAILUNGA, RAIGARH, Chhattisgarh, 496113

रोल नं. : 044

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RADHELAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YAGYADUTT SHARMA

H.NO-105, WARD NO-8, BHEDIMUDA,
RATANPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 045

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANAHARAN LAL SHARMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TAKESHWAR PATRE

GRAM-CHIRAUTY, PO-BAWLI, TEH-PATHARIA,
MUNGELI, Chhattisgarh,

रोल नं. : 046

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GORELAL PATRE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK SAHU

VILL-CHHECHHAR, PO-MALDA KASDOL,
BALODA-BAZAR, Chhattisgarh, 493344

रोल नं. : 047

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHEIKH SARFARAZUDDIN

C/O SHEIKH NASIRUDDIN, HOUSE NO- 8, KHAN
BADI GALI NO-2, TAIBA CHOWK TALAPARA,
WARD NO-23, BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 048

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHEIKH NASIRUDDIN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NITESH KUMAR DHRUW

QUARTER NO- 155, BLOCK-14, VIJETA
COMPLEX, NEW RAJENDRA NAGAR , RAIPUR,
Chhattisgarh, 492001

रोल नं. : 049

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TUL SINGH DHRUW

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SURENDRA KUMAR JAISWAL

C/O SURENDRA KUMAR JAISWAL, B/46, JUSTIC
BUNGALOW, SHEETLA MANDIR TIRAHA, CIVIL
LINE, BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 050

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMPYARE JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TULSHIRAM SAHU

VILL- BHATGAON, POST- BORPA, TEH-
ABHANPURH.NO.- 101, WARD NO. 08, , RAIPUR,
Chhattisgarh, 493661

रोल नं. : 051

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARADRAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MOHAN LAL KEWAT

WARD NO. 01, SADAK PARA, VILL- KACHHAR,
POST- LOFANDI, BILASPUR, Chhattisgarh, 495009

रोल नं. : 052

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHITAL PRASAD KEWAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SOURYA KUMAR MOURYA

VILL- PANDAR, POST- GUJRA, TEH- PATAN,
DURG, Chhattisgarh, 491111

रोल नं. : 053

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MEWAFAROS MOURYA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANUPAM MINJ

VILLAGE-CHIDAPARA, POST-PENT
(PRATAPGARH), TEHSIL- MAINPAT, THANA-
SITAPUR, SARGUJA, Chhattisgarh, 497114

रोल नं. : 054

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NAVEEN MINJ

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAMLAKANT PATEL

KAMLAKANT PATEL C/O T.R. PATEL JORATALAB
KE PASS SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 055

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAKHESHWAR PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEERAJ KUMAR

W.NO.-1, BHATGAON-2, BHAWANI CHOWK,
POST- KHORPA, TEHSIL- ABHANPUR, RAIPUR,
Chhattisgarh, 493661

रोल नं. : 056

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMAWTAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NIRAJ JAISWAL

GK TOWNSHIP, H NO. 44, VILL-POST- SILTARA,
THANA- DHARSIWA, RAIPUR, Chhattisgarh, 493111

रोल नं. : 057

लिंग : Male

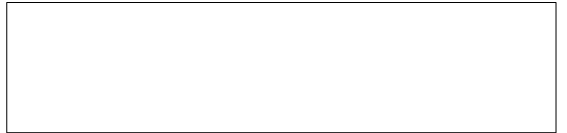
पिता/पति का नाम

BHOLANATH JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RUPESH KUMAR

HSCL COLONEY RISALI, BHILAI, BLOCK NO.
52/D, POST- RISALI, DURG, Chhattisgarh, 490006

रोल नं. : 058

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUKHCHAIN DAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JITENDRA VERMA

VILL- KATAI, POST- BADNARA, TEH-
NAVAGARH, BEMETARA, Chhattisgarh, 497340

रोल नं. : 059

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JIVAN LAL VERMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHARAT LAL BHARGE

VILL.- SUKHAPALI, MAHASAMUND, Chhattisgarh,
493558

रोल नं. : 060

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANMOHAN BHARGE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DOOLENDRA KUMAR KAIWART

H. NO.- 01, NEAR GYAN BHARTI SCHOOL, VILL.
& P.O.- GEVRA BASTI, KUSMUNDA, TEH.-
KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 061

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

AJIT RAM KAIWART

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEV SINGH PATEL

VILL.- SONPURI, P.O.- CHHIRHA, THANA-
DADHI, BEMETARA, Chhattisgarh, 491337

रोल नं. : 062

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAM LAL BHARTI

GRAM-MANVARI, POST-KELHARI,
MANENDRAGARH-CHIRIMIRI-BHARATPUR,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 063

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE BABU LAL BHARTI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NARENDRA PAL
GRAM-JHAVAR, THANA-DEEPA, TEH-
KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 064

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PATTHAR SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AMIT KUMAR

1B/35, PUMP HOUSE SECL COLONY, KORBA,
Chhattisgarh, 465677

रोल नं. : 065

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOTI LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JALESH RAM

SHYAM NAGAR, LINGIYADIH, BASOD
MOHALLA, BILASPUR, Chhattisgarh, 594006

रोल नं. : 066

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BUDH RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHAWANI SHANKAR SINGH

39, BAJAR PARA, GRAM-AAMAPALI, PO-
BARTAPALI, TEH-DHARAMJAIGARH, RAIGARH,
Chhattisgarh, 496116

रोल नं. : 067

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LOKNATH SINGH THAKUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NAGESH NAYAK

GRAM-DHABPALI, TEH-BAGBAHARA,
MAHASAMUND, Chhattisgarh,

रोल नं. : 068

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KOMAL NAYAK

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JEET RAM YADAV

GRAM-RANK, PO-KAUDIA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 069

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HETRAM YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SATYAVAN

422, MANIKPUR, HOUSE NO- 612, KALRI,
KORBA, Chhattisgarh, 495682

रोल नं. : 070

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAY NARAYAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TRILOCHAN SINGH RAJPUT

VILLAGE - AMLIDIH, POST-KAWARDHA, ,
KABEERDHAM, Chhattisgarh, 491995

रोल नं. : 071

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAILASH SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIL KUMAR PANDEY

WARD NO- 17, SADAK PARA, LOHARSI, POST-
LOHARSI, TAH- PAMGARH,, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 072

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KUMAR PANDEY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAMOD KUMAR SAHU

VILLAGE-POST- PANDHI THA- SIPAT,, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495355

रोल नं. : 073

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJ KUMAR SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANKIT KUMAR DWIVEDI
MP COMPLEX VYAPAR VIHAR, NEAR DINDAYAL
GARDEN, , BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 074

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GYANENDRA PRASAD DWIVEDI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHASHIKANT

GRAM+POST-NARIYARA, TEH-AKALTARA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495553

रोल नं. : 075

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHIV KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PANKAJ

H.NO.-328, WARD NAWAPARA, VILL+ POST-
DHARAMPURA, TEH- PIPARIYA, KABIRDHAM,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 076

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PRAKASH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AMAN ANANT

AMBEDKAR NAGAR WARD NO. 4, MU-POST-
RAHOD, TEH- PAMGARH, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 077

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMCHARAN ANANT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANKIT KUMAR SINGH

Q NO. 16/A, STREET NO. 15, SECTOR NO. 2
BHILAI, DURG, Chhattisgarh, 490001

रोल नं. : 078

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ASHWANI SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRASHANT SINGH MIRI

KARYALAYA MAHILA AVM BAL VIKASH
VISHRAM VIBHAG, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 079

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DEVADAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

REVATEE DHRUW

SUBHASH NAGAR, WARD NO.- 25, NEAR GOURA
CHOURA, MAHASAMUND, Chhattisgarh, 493445

रोल नं. : 080

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

JEEVRAKHAN DHRUW

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AADITYA SINGH

WARD NO.- 18, NEAR HANUMAN MANDIR,
TILAK NAGAR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 081

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DUGRESH SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMKRISHNA JAISWAL

PAILPARA, W.NO.-14, SARANGARH, TEHSIL-
SARANGARH, SARANGARH-BILAIGARH,
Chhattisgarh, 496445

रोल नं. : 082

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DURGA PRASAD JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PARAWATI DHRUW

SUBHASH NAGAR, W.NO.-25, GAURA CHAURA
KE PASS, MAHASAMUND, Chhattisgarh, 493445

रोल नं. : 083

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

PRIYANK KUMAR DHRUW

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANDEEP KUMAR SAHU

MAKAN NO.-133, W.NO.-09, VILLAGE AND POST-
KARAMTARA, TEHSIL- DONGARGAON,
RAJNANDGAON, Chhattisgarh, 491441

रोल नं. : 084

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

UTTAM KUMAR SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJJU KUMAR

VILLAGE-DONGARI, POST- JAWALI, TEHSIL-
KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh, 495445

रोल नं. : 085

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MAYA RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAMLESH YADAV

VILLAGE AND POST- GHURSENA, TEHSIL-
NANDGHAT, BEMETARA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 086

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ROHIT YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEV KUMAR SURYWANSHI

VILL+ POST- NARGODA, TEH- MASTURI,
THANA- SIPAT, BILASPUR, Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 087

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE SAUKHI LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH BANJARE

H.NO. 726, SUNDAR NAGAR, ADARSH CHOWK,
RAIPUR, Chhattisgarh, 492001

रोल नं. : 088

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE BUDHE LAL BANJARE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUDHAKAR SAHU

H NO. 871/3 HOUSING BOARD COLONY
SEMIPALI JAMNIPALI , KORBA, Chhattisgarh,
495450

रोल नं. : 089

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMSHARAN SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJAY KUJUR

GRAM-KARABEL, PO-JAJGA, THANA-SITAPUR,
BLOCK-MAINPAT, SURGUJA, Chhattisgarh, 497111

रोल नं. : 090

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GOHDAL KUJUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KASHI RAM

KASHI YADAV KIRANA DUKAN, BAJAR PARA,
GRAM-KHAIRA, BILASPUR, Chhattisgarh, 495555

रोल नं. : 091

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ANUJ RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VISHNU PRASAD

WARD NO-9, INDIRA NAGAR, TEH-TAMNAR,
RAIGARH, Chhattisgarh, 496107

रोल नं. : 092

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ROHIT KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NARESH KUMAR

GRAM-CHARKHURA KALA, PO-PANDATARAI,
TEH-PANDARIYA, KABIRDHAM, Chhattisgarh,
491559

रोल नं. : 093

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BARSATI RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NARAYAN SINGH KANWAR

GRAM-BHARRAKUDA (DHOLWAPARA), PO-
BIRDA, TEH-DIPKA (KATGHORA), THANA-
KUSMUNDA, KORBA, Chhattisgarh, 495446

रोल नं. : 094

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BENI RAM KANWAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NAND KUMAR

GRAM+PO-JERKELA, TEH-TAMNAR, RAIGARH,
Chhattisgarh, 496107

रोल नं. : 095

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMLAL RATHIYA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEVENDRA KUMAR

GRAM-PARAGHAT, PO-JAIRAM NAGAR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 096

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAKHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHIV KUMAR

W NO-19, GRAM-HATHANIKALA, TEH-
PATHARIYA, MUNGELI, Chhattisgarh, 495334

रोल नं. : 097

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHANI SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SARAYU PRASAD

POST-SALKHAN (SHIVA CHOWK), W NO-20,
KHAROD, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 098

लिंग : Male

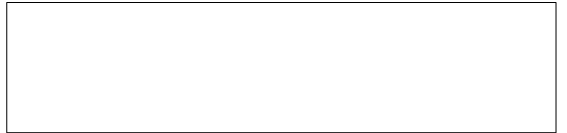
पिता/पति का नाम

BANAS RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIJAY KUMAR KAUSHIK

RADHA KRISHNA MANDIR, SHIKSHAK NAGAR,
HARDI BAZAR, KORBA, Chhattisgarh, 495446

रोल नं. : 099

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARESH KAUSHIK

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAMOD KUMAR DHRUW
DREAM CITY, UMDA ROAD, BHILAI-3, DURG,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 100

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANA RAM DHRUW

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAURAV KUMAR THAWAIT

YOG TOWER, 4TH FLOOR, ANUPAM GARDAN,
GE ROAD, GEETA NAGAR, RAIPUR, Chhattisgarh,
492001

रोल नं. : 101

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE CHANDRIKA PRASAD THAWAIT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LAXMI PRASAD KAIWART

GRAM-NAGOI, POST-BAIMA, SAHU MOHALLA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 102

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHANDRIKA PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ISHRAR KHAN

W NO-14, BEHIND SABJI BAZAR, NEAR POLICE
THANA, MAIN ROAD BALODA, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495559

रोल नं. : 103

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MURTUJA KHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AASHU YADAV

WARD NO. 18, PATHARIPARA, RAM MANDIR,
NE/73, KORBA, Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 104

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LILADHAR YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TRILOCHAN JANGDE

MU.- JAMDI, POST- MALDA, BIRRA, TEHSIL AND
THANA- JAIJAIPUR, SAKTI, Chhattisgarh, 495661

रोल नं. : 105

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAGWAN DAS JANGDE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MILAN DAS MANIKPURI

17/N, RISALI BHATA, B.R.P. KE PICHHE, DURGA
MANCH KE PASS, RISALI, BHILAI, DURG,
Chhattisgarh, 490006

रोल नं. : 106

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PANCHUDAS MANIKPURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAKESH SAHU

MAKAN NO.-54, NARMADA CHOWK, VILLAGE-KHURSULA, POST- PAWANI, TEHSIL-BILAIGARH, SARANGARH-BILAIGARH, Chhattisgarh, 493338

रोल नं. : 107

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHEDULAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LATIF MOMIN

KAIRAGARH, ABMEDKAR W.NO.-18, TEHSIL-KHAIRAGARH, KHAIRAGARH-CHHUIKHADAN-GANDAI, Chhattisgarh, 491881

रोल नं. : 108

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DILJAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UMESH YADAV

BAZARPARA, JANJGIR, W.NO.-14, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 109

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAGDISH YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKHTAR AAQUIB

W.NO.-6, GAUR COLONY, BALRAM SINGH
PLANT, TIFRA, YADUNANDAN NAGAR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 110

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HAROON AHMED

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PIYUSH DWIVEDI

QTR NO.-204, BLOCK-K, NILYAM POLICE
COLONY, KHOKHRABHATA, JANJGIR-CHAMPA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 111

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ANIL DWIVEDI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANUJ ARYA

4TH B.N.C.A.F., W.NO.-12, POST- MANA CAMP,
RAIPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 112

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANOHAR ARYA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BALICHAND

VILL+PO-SALKHAN, WARD NO-2, UPARDIHPARA
SALKHAN BLOCK NAWAGARH, TEH-
SHIVRINARAYAN, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 113

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANHARAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJAY

Q.NO.H-1, AWASIY PARISAR SHAHID
MAHENDRA KARMI UNIVERSITY,
DHARAMPURA 2, JAGDALPUR, BASTAR,
Chhattisgarh, 494001

रोल नं. : 114

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUKLU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRADEEP KUMAR SAHU

20A NAHARPAR, RIKOTAR ROAD, WARD NO. 2,
BHATGAON, SARANGARH-BILAIGARH,
Chhattisgarh, 493222

रोल नं. : 115

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHIKHAM LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KANCHOO RAM MARKAM

VILL- SINGPUR, POST- MUNMUNA, TEH-
KUKDUR, KABIRDHAM, Chhattisgarh, 491559

रोल नं. : 116

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAGAU RAM MARKAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK NIRMAL

65 AZAD CHOWK WARD NO. 15 DHAMDHA,
DURG, Chhattisgarh, 491331

रोल नं. : 117

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DUSHYANT NIRMAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SAMSHAD AALAM

VILL. & P.O.- BASANTPUR, TEH.-
WADRAFNAGAR, BALRAMPUR, Chhattisgarh,
497225

रोल नं. : 118

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE NEYAMAT ANSARI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AMRIT LAL CHANDRA

VILL+ POST- KASHIGARH, TEH- JAIJAIPUR,
SAKTI, Chhattisgarh, 495690

रोल नं. : 119

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARMADA PRASAD CHANDRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHAN CHAND YADAV

VILL- KOPRA, POST- BAHTRAI, TEH- SAKRI,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 120

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MAKHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHNAKANT RATHORE

M/Q-1506, PRAGATI NAGAR, DEEPKA, KORBA,
Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 121

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DILIP KUMAR RATHORE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ROHIT KUMAR

VILLAGE- DOTOPAR, W.NO.-1, PO.- LAHOD
(LAWAN), TEHSIL-LAWAN, THANA- LAWAN,
BALODA-BAZAR, Chhattisgarh, 493526

रोल नं. : 122

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAGWAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SONU KUMAR SAHU

VILLAGE & P.O.- BIRANPUR KALA, THANA-
GANDAI, TEHSIL- CHHUIKHADAN,
KHAIRAGARH-CHHUIKHADAN-GANDAI,
Chhattisgarh, 491888

रोल नं. : 123

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BALDAU SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BABA RATRE

S3, SHIV MANDIR CHOWK, PRAGATI NAGAR,
DARRI, KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 124

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE DAMRU LAL RATRE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHANDRA BHUSHAN KAUSHIK
VILLAGE- BODSARA, TEHSIL-TAKHATPUR,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 125

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM BALI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPENDRA KUMAR

VILLAGE-NAWAGAON, POST- AMANDULA,
TEHSIL-MALKHARAUDA, SAKTI, Chhattisgarh,
495689

रोल नं. : 126

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMNATH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DHANESHWAR
VILLAGE AND POST- TEKAPAR, TEHSIL- BALOD,
BALOD, Chhattisgarh, 491226

रोल नं. : 127

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DINESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SARAHU RAM

VILLAGE- DATAUD, POST- KOTETARA, TEHSIL-
JAIJAIPUR, SAKTI, Chhattisgarh,

रोल नं. : 128

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SAHETTAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LUCKYRAJ KASHYAP

MUKAM POST-SALAKHAN, TEH-NAWAGARH,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 129

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BUDHRAM KASHYAP

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DINESH KUMAR KHARE

W NO-09, BASTIPARA, PODHI, DALHA, TEH-
AKALTARA, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,
495559

रोल नं. : 130

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KRISHN DATT KHARE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KANHA AHIR

GRAM-NONBIRRI, TEH-PALI, THANA-DIPKA,
KORBA, Chhattisgarh, 495284

रोल नं. : 131

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHEDU RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEELKANTH SAO

POST-BASHULA, THANA-BASNA,
MAHASAMUND, Chhattisgarh, 493554

रोल नं. : 132

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAXMIDHAR SAO

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL KUMAR

BAJRANG CHOWK, VILL- BARDWAR, POST-
TANDA, TEH- KOTA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495112

रोल नं. : 133

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DILIP KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIVEK KERKETTA

VILL- KHANTADAND, POST- KURDEG, TEH-
BAGICHA, JASHPUR, Chhattisgarh, 496224

रोल नं. : 134

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJENDRA KERKETTA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANISH KUMAR PANDEY

VILL- JAMTHAN, WARD NO. 1 (BAIRIYALPARA)
POST- KANJIYA, TEH- BHARATPUR, MCB,
Chhattisgarh, 497778

रोल नं. : 135

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SITASHARAN PANDEY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

OMPRAKASH

WARD NO. 09, SATBAHINIYA WARD,
KAWARDHA, KABIRDHAM, Chhattisgarh, 491995

रोल नं. : 136

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHEERAJ DAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAMAL KUMAR BANJARE

GRAM-RAILHA, WARD NO-4, PO+TEH-
PACHPEDI, BILASPUR, Chhattisgarh, 495551

रोल नं. : 137

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HARIRAM BANJARE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJ KUMAR THAKUR

H.NO.-262, SANJAY NAGAR, WARD NO-4-5,
SUPELA, BHILAI, PO-RAMNAGAR , DURG,
Chhattisgarh, 490023

रोल नं. : 138

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHYAM LAL THAKUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANTOSH KUMAR

SARDI (NAWAPARA), WARD NO-17, PO-
CHARCHA COLARY, KORIYA, Chhattisgarh, 497339

रोल नं. : 139

लिंग : Male

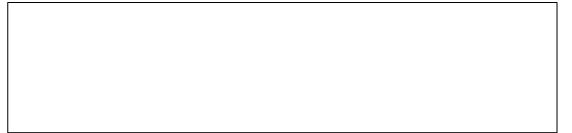
पिता/पति का नाम

DASHRATH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MOHAMMED ARSHAD SHEIKH

GOPAL CHOWK, GOKUL NAGAR MATHPURENA,
SIMRAN CITY PHASE-1, MATHPURENA, RAIPUR,
Chhattisgarh, 492013

रोल नं. : 140

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOHAMMED AKRAM SHEIKH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHNA KUMAR VERMA

VERMA DAWAKHANA, CIVIL LINE, AADARDH
NAGAR, BHATHAGAON ROAD, BALODA-
BAZAR-BHATAPARA, Chhattisgarh, 493332

रोल नं. : 141

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARAS RAM VERMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIRENDRA KUMAR SAHU

GRAM-KANNEWADA, PO-KARHIBHADAR,,
BALOD, Chhattisgarh, 491227

रोल नं. : 142

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

YASHWANT KUMAR SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HEMANT KUMAR SINGH

PRIMARY SCHOOL KE PASS, BSNL ROAD,
DARRIPARA, AMBIKAPUR, SURGUJA,
Chhattisgarh, 497001

रोल नं. : 143

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHYAM NARAYAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIMESH VAISHNAV

S/O VISHNU DAS VAISHNAV, HANUMAN
MANDIR KE PASS, W.NO.-18, BUS STAND
CHOWK, KERA, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,
495557

रोल नं. : 144

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VISHNU DAS VAISHNAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKHILESH SHARMA

L.I.G 790 SECTOR, 05 PANDIT DEENDAYAL
COLONY, MANGLA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 145

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PRADEEP KUMAR SHARMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AJAY KUMAR SAHU

VILLAGE- BITKULA, TEHSIL-MASTURI, THANA-
SEEPAT, POST- SONTI, BILASPUR, Chhattisgarh,
495559

रोल नं. : 146

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUNIL DAS MAHANT

VILLAGE- KHAMHARIYA, THANA AND TEHSIL-
SEEPAT, BILASPUR, Chhattisgarh, 495559

रोल नं. : 147

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAPURDAS MAHANT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAKASH NARAYAN SINGH

H.NO.- DAFAI BANKI MONGRA, POST- BANKI
MONGRA, TEHSIL-KATGHORA, KORBA,
Chhattisgarh, 495447

रोल नं. : 148

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GUHA SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KAILASH DAS MANIKPURI
VILL- KHANDA, POST- DHANIYA, THANA- SIPAT,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 149

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIPAT DAS MANIKPURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BALDAU

VILL+ POST- BIJABHAT, TEH- BERALA,
BEMETARA, Chhattisgarh, 491335

रोल नं. : 150

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARGHANIYA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TEJESHWAR KUMAR DESHMUKH

H.NO. 8/C, SADAK -35, SECTOR- 05, BHILAI
NAGAR, DURG, Chhattisgarh, 490006

रोल नं. : 151

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

P R DESHMUKH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHATRUHAN LAL OGREY

HARDI BAZAR, BHATAPARA, KORBA,
Chhattisgarh, 495446

रोल नं. : 152

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARAS RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGENDRA KUMAR

VILL+ POST- SINGHARA, TEH- MALKHARAUDA,,
SAKTI, Chhattisgarh, 495691

रोल नं. : 153

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHOTE LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JASWANT TIGGA

VILL. & P.O.- JAJGA (JAMDIH), THANA-
SEETAPUR, TEH.-MAINPATH, SARGUJA,
Chhattisgarh, 497111

रोल नं. : 154

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NAANSAI TIGGA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ADARSH PANTH
CHOUDHARI GALI, NEAR SHIV SHAKTI
MANDIR, IMLIBHATHA, SARKANDA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 155

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GAUTAM PANTH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LAXMIKANT RATRE

GRAM-BHANESAR MISSION, POST- JAIRAM
NAGAR, TEH-MASTURI, BILASPUR, Chhattisgarh,
495550

रोल नं. : 156

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHANDRASEN RATRE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AJAY DAS

W NO-19, PURANA BAZAR PARA, KHARKENA,
HIRRI , BILASPUR, Chhattisgarh, 495224

रोल नं. : 157

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GULAB DAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UMESH KUMAR RAJ

NAI ZAMEEN MANA CAMP, BLOCK- H1, ROOM
NO-07, RAIPUR, Chhattisgarh, 492015

रोल नं. : 158

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KANHAIYA LAL RAJ

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKANSHU SIDAR
PREM NAGAR KUSMUNDA, PO-BHAIROTAL,
KORBA, Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 159

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ESHWAR SINGH SIDAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAVI KUMAR

GRAM+PO-KATGI, TEH-KASDOL, BALODA-
BAZAR, Chhattisgarh, 493344

रोल नं. : 160

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHAT LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAPHUL KUMAR SONI

B-48, STAFF COLONY, B-TYPE, CHARCHA
COLARY, KORIYA, Chhattisgarh, 497339

रोल नं. : 161

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

INDRAMANI SONI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKASH KHANDELWAL

GRAM-USLAPUR, WARD NO-9, PO-POUNI,
MUNGELI, Chhattisgarh, 495334

रोल नं. : 162

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DILIP KUMAR KHANDELWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SOURABH DUBEY

WARD NO-48, PURANA SARKANDA, SHIV GHAT
SHARDA MANDIR KE PASS, , BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 163

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JITENDRA DUBEY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAVI SINGH
PLAT NO-214, GOPI NAGAR, 9 SHOP KALWAD
ROAD, JHOTWADA, JAIPUR, Rajasthan, 302012

रोल नं. : 164

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ROSHAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIKAS CHAUHAN

VILL-POST- NRAYANPUR, THANA- CHAUBEPUR,
VARANASI, Uttar Pradesh, 221100

रोल नं. : 165

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SURAHU CHAUHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPESH

KUTIPARA MOPKA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 166

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LALIT DHURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RANVEER SINGH RATHOUR

A/25, 2ND BATALIAN CHHATTISGARH SASTRA
BAL PARISAR SAKRI, BILASPUR, Chhattisgarh,
495003

रोल नं. : 167

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PURAN SINGH RATHOUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KHAGESH PRASAD

T-12 SHUBH REGENCY CHAKARBHATA BODRI,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495220

रोल नं. : 168

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DEVCHARAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKESH SAHU

VILL-POST- SEMARTAL, BANGLAPARA
(GAYATRI MANDIR K PAS), THANA- KONI,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495009

रोल नं. : 169

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ARJUN SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHANDRAHAS

VILL- KANHARPURI, POST+ TEH- KURUD,
DHAMTARI, Chhattisgarh, 493663

रोल नं. : 170

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SIYA RAM SINHA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BRAMHANAND MANIKPURI

WARD NO. 10, MANDAL PARA, VILL- MODHE,
POST- BELSARI, THANA- TAKHATPUR,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 171

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARESH MANIKPURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEERAJ KUSHWAHA

896, AMLOHRI HOSPITAL, NAWANAGAR,
SINGRAULI, Madhya Pradesh, 486887

रोल नं. : 172

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GURU CHARAN KUSHWAHA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KHILESHWAR SINGH KANWAR

VILL- DINDOLBHATA, POST- GOPALPUR,
THANA- KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh,
495450

रोल नं. : 173

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAGHUVeer SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ASHISH VERMA
STREET- 7, PANCHSHIL, SECTOR- B, BORSHI,
DURG, Chhattisgarh, 491001

रोल नं. : 174

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARENDRA VERMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SURAJ KUSHWAHA

896, AMLOHRI HOSPITAL, NAWANAGAR,
SINGRAULI, Madhya Pradesh, 486887

रोल नं. : 175

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GURU CHARAN KUSHWAHA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANTOSH KUMAR YADAV
PIPAL CHOWK, IMLIBHATHA, BANDHWAPARA,
SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 176

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SONAOO LAL YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK KUMAR SAHU

W.NO.-05, BIRRA, BASANTPUR ROAD, NEAR
DEV PUBLIC SCHOOL, POST AND THANA-
BIRRA, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495661

रोल नं. : 177

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GOVIND RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JYOTI VAISHNAV

D/O JAGDISH DAS VAISHNAV, W.NO.-11,
VILLAGE- BAWALI, PO.-BAWALI, THANA AND
TEHSIL-SARGAON, MUNGELI, Chhattisgarh,
495224

रोल नं. : 178

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

JAGDISH DAS VAISHNAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AJAYPAL SINGH KANWAR

S/O DUBRAJ SINGH 160 DARRI BASTI PO.-
JAMNIPALI, TEHSIL-DARRI, KORBA, Chhattisgarh,
495450

रोल नं. : 179

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DUBRAJ SINGH KANWAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGESH KUMAR

रोल नं. : 180

YOGESH KUMAR SAHU S/O SHYAM LAL SAHU,
MAKAN NO.-49, MAJHIPARA, PARSA PALI,
KHARSIYA, RAIGARH, Chhattisgarh, 496661

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHYAM LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUNIL KUMAR

VILLAGE- BHELWAGUDI, POST- KARAINARA,
TEHSIL-KARTALA, KORBA, Chhattisgarh, 495671

रोल नं. : 181

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHYAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUJAL DEWANGAN

WARD 27, NEAR NAGORAO SHESH VIDYALAYA,
JUNA BILASPUR , BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 182

लिंग : Male

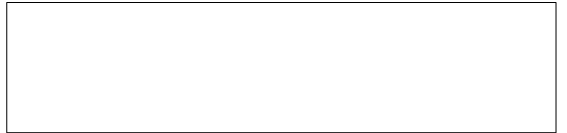
पिता/पति का नाम

JAGDISH DEWANGAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANGTU RAM

VILL- CHHOTE FARASGAON, POST- CHHINARI,
NARAYANPUR, Chhattisgarh, 494661

रोल नं. : 183

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SOMARU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DAMINEE

UPBHOKTA VIVAD, PRATITOSH AAYOG, DURG,
Chhattisgarh, 491001

रोल नं. : 184

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

SANJAY KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAM SINGH SAHU

KARMA BHAWAN KE PASS, PRAGATI NAGAR
PHASE-II, JAYANTI NAGAR, DURG, Chhattisgarh,
491001

रोल नं. : 185

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHOLA RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JALESHWAR SINGH

VILLAGE- BANABEL, PO.- KHAIRJHITI,
BELGAHNA, TEHSIL AND THANA-KOTA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495116

रोल नं. : 186

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE RAMRATAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NIKHIL KUMAR YADAV

NAHARIYA BABA ROAD, YADAW CHOWK KE
PASS, W.NO.-18, JANJGIR-CHAMPA, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 187

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHATRAM YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEENANATH SAHU

S/O CHHABILAL SAHU, W.NO.-03, NICHHE
MOHALLA DEHJARI KHARSIYA, RAIGARH,
Chhattisgarh, 496665

रोल नं. : 188

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHABI RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANMOHAN SAHU

VILL.- DAIRY FARM AARSEMRA (KUTIGHAT),
P.O.- SONSARI, TEH.- AKALTARA, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495553

रोल नं. : 189

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KIRTAN RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHUBHAM GUPTA

WARD NO.- 43, BEHIND VINAYAK PRINTER,
GOHAR GALI, SAFED KHADAN, DEVRIKHURD,
BLOCK- BILHA, BILASPUR, Chhattisgarh, 495004

रोल नं. : 190

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DIWAKAR GUPTA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJU
VILL. & P.O.- AURI, TEH.- PATAN, DURG,
Chhattisgarh, 490021

रोल नं. : 191

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DASHRATH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TILAK KURRE

239/11, WARD NO.- 11, NEAR KRISHNA
HOSPITAL, KAILASH NAGAR, KUMHARI, DURG,
Chhattisgarh, 490042

रोल नं. : 192

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ASHWANI KUMAR KURRE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJAY KUMAR LAHRE

VILL. & P.O.- MASNIYA KALA, TEH. & THANA-
SAKTI, SAKTI, Chhattisgarh,

रोल नं. : 193

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHATTAR LAHRE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHAILAL KEWAT

ANDHIYAR KHOH, NEAR GYAN DHARM KANTA,
SIDHI, Madhya Pradesh, 486661

रोल नं. : 194

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAYRAM KEWAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

OMPRAKASH LAKRA

VILL.- THAKUR NAGAR, JOBI, BADHANPUR,
TEH.- KAPU, RAIGARH, Chhattisgarh, 496118

रोल नं. : 195

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HAWAL SAI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPESH KUMAR

VILL-JEVARTALA, POST-MOHRA, TEH- GURUR,
THANA- SANAUD, BALODA, Chhattisgarh, 491222

रोल नं. : 196

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

IMRAN KURESHI

Q.NO. M/43, WARD NO. 11, BHATGAON OLD
MINES, SURAJPUR, Chhattisgarh, 497235

रोल नं. : 197

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MD USMAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUNNA YADAV

VILL-MANIKPUR JAMIN HAJIPUR, POST-
KALYANPUR, TEH.-GHOSI, MAU, Uttar Pradesh,
275105

रोल नं. : 198

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMBACHAN YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKESH VISHWAKARMA

48/22 WARD NO.- 57, KATUL BOAD, SAKET
COLONY, S A F LINES BHILAI, DURG,
Chhattisgarh, 490022

रोल नं. : 199

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY VISHWAKARMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIJAY KUMAR BHAT

778-MINI MATA CHOWK, KRISHNA NAGAR,
SUPELA, BHILAI, DURG, Chhattisgarh,

रोल नं. : 200

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAGHUBEER PRASAD BHAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ARUN CHAUBEY

W NO-20, BLOCK-SDM KARYALAYA KE SAMNE,
JANJGIR, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 201

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE MADHUSUDAN CHAUBE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL SINGH

VILL-GUGALWA, POST-BEWAR, TEH-RAJGARH,
CHURU, Rajasthan, 331301

रोल नं. : 202

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GAJANAND SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANOJ KUMAR
GRAM-SALORA, POST-DARRABHATHA, TEH-
KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 203

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SAMAR SAY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMBHAROSH SAHU

PO-SARDHA, TEH-LORMI, MUNGELI,
Chhattisgarh, 495115

रोल नं. : 204

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NILESH KUMAR LAKRA

H NO-155, JOBATIKRA, MISSION PARA,
SONTARAI, SITAPUR, SURGUJA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 205

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUSHIL KUMAR LAKRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL KUMAR SAHU

W NO-02, DR ABDUL KALAM NAGAR, GAYTRI
MANDIR KE SAMNE, SAKRI, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 206

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE JALAS RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KARAN KUMAR
VILLAGE- CHICHOLA, POST- KHAIRAGARH, ,
RAJNANDGAON, Chhattisgarh, 491881

रोल नं. : 207

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BIRESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MALLA RAM

POST- KUKANWALI, TAH- KUCHAMAN CITY, ,
NAGPUR, Rajasthan, 341519

रोल नं. : 208

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SEWA RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SATYAVAN

VILL+ POST- MANIKPUR, SECL KORBA, KORBA,
Chhattisgarh, 495682

रोल नं. : 209

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAYNARAYAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VINOD KUMAR

NILYAM POLICE COLONY TIFRA, BLOCK- B,
ROOM NO.-204, BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 210

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHANI RAM JAGAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TAKESHWAR RAJAK

VILL+ POST- SENWAR, BLOCK+ TEH- BODRI,
CHAKARBHATA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 211

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DEVNATH RAJAK

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LIKHIRAM SEVAKRAM BHELAVE

रोल नं. : 212

CHOURE KIRANA K SAMNE, LETE HANUMAN
MANDIR ROAD, GAUTAM NAGAR, BAJPAI
WARD, GONDIA, Maharashtra, 441601

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SEVAKRAM JIVAN BHELAVE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VASUDEV MARKAM

VILL- SIDAVAND, POST- KODWABHETA, TEH-
KESHKAL, KONDAGAON, Chhattisgarh, 494331

रोल नं. : 213

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DAMBHU RAM MARKAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SAROJ DEWANGAN

WARD NO. 19, IB STATE HOUSE KE PICHE,
NAHAR POOL KE PAS, JANJGIR, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 214

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RIKHIRAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SATYNARAYAN BARETH

GRAM-BASODHA, DARANG, TEH-CHAMPA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495687

रोल नं. : 215

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SOHIT RAM BARETH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UGESH KUMAR
POST-AIRAMSAHI, TEH-MASTURI, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 216

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TIKA RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKUL SHARMA

ASPTAL BASTI, 1/B 236, BISHRAMPUR,
SURAJPUR, Chhattisgarh, 497226

रोल नं. : 217

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHIV KUMAR SHARMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHOLA RAM SAHU

VILL- PANEKA, POST- DASRANGPUR, TEH-
PIPARIYA, KABIRDHAM, Chhattisgarh, 491336

रोल नं. : 218

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANSINGH SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ROSHAN SAHU

VILL+ POST- SALKHAN , UPARDI PARA, TEH-
SHIVRINARAYAN, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 219

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BUDDHRAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANOJ KUMAR SURYAVANSHI

VILL+ POST- BELTARA, PALI, THANA-
RATANPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495449

रोल नं. : 220

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RADHESHYAM SURYAVANSHI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UMESH KUMAR
C/O MANDAS, WARD NO-53, KANTI
CHOWK, POTIYA KALA, PURANI BASTI, DURG,
Chhattisgarh, 491001

रोल नं. : 221

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANDAS GAYAKWAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BAL RAM SAHU

H.NO.-262, WARD NO-10, GRAM-BAIJNATH,
BHATAPARA -1, PO-SARVA, TEH-KASDOL,
BALODA-BAZAR-BHATAPARA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 222

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

AMRIT LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VARSHA JAISWAL

VILL-PODI, POST- BILLIBAND, THANA- KARGI
ROAD (KOTA), BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 223

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

HARISHANKAR JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPESH KUMAR PAIKRA
GRAM-PODHIKALA, POST-DARANG, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495087

रोल नं. : 224

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHATRUHAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIRENDRA KUMAR BARWE

CHARCH KE PICHE, RIKSHA MOHALLA,
PADIMAR, BALCO NAGAR, KORBA, Chhattisgarh,
495684

रोल नं. : 225

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJENDRA KUMAR BARWE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AMAN KUMAR

WARD NO-08, GRAM-POLMI, PO-SILLI, TEH-PALI,
KORBA, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 226

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SITARAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LAXMAN MANIKPURI

CENTRAL LIBRARY KE PASS, PRADHAN
MANTRY AWAS, BLOCK-O, ROOM NO.-2, NUTAN
CHOWK, SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 227

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JEEVAN DAS MANIKPURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NARENDRA KUMAR ANANT

GRAM-LOKBAND, PO-KATGI KHURD,
BLOCK+TEH-KOTA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495113

रोल नं. : 228

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMESH KUMAR ANANT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KISHOR KUMAR

GRAM-RIVADIH, PO-KACHANDA, TEH-
JAIJAIPUR, SAKTI, Chhattisgarh, 495690

रोल नं. : 229

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUKHRAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEV KUMAR KURREY

VILL+PO-MASANIYA KALA,, SAKTI, Chhattisgarh,
495689

रोल नं. : 230

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ANINDRA KURREY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PURENDRA KUMAR SAHU

H.NO.-117, WARD NO-7, GRAM-AARLA, PO-
BHARREGAON, RAJNANDGAON, Chhattisgarh,
491441

रोल नं. : 231

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANGA RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANGAL RAM

MARKEL 2 PARA, BIRSAGUDA, JAGDALPUR,
BASTAR, Chhattisgarh, 494001

रोल नं. : 232

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TULARAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SOMESH SAHU

MAKAN NO.-18, W.NO.-20, VISHRAM NAGAR
JHABAR, POST- DEEPA, KORBA, Chhattisgarh,
495452

रोल नं. : 233

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DAKESHWAR PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAKASH SINGH THAKUR
EWC-109, C.G. HOUSING BOARD, COLONY
CHILHATI, PO.-MOPKA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 234

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KANHAIYA SINGH THAKUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKASH DHURWE

VILL.- KUSUMGHATA, POST-NEUNRGAON
RULA, TAH-GHODLA, KABIRDHAM, Chhattisgarh,
491995

रोल नं. : 235

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUKHNANDAN DHURWE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PARVINDER BHAGAT

VILL.-DARRAPARA, WARD NO. 6,
PATTHALGAON, JASHPUR, Chhattisgarh, 496118

रोल नं. : 236

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJESHWAR BHAGAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YASHWANT SINGH TENGWAR

HOUSE NO. 80, WARD NO. 5, VILL.- MADAI,
POST-KHAMHARIYA, SIPAT, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495559

रोल नं. : 237

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIDESHI RAM TENGWAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAJENDRA KUMAR

VILL.-AKALTARI, DEWANGAN MOHALLA, PO-
LAKHRAM, BILASPUR, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 238

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANGARAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANU KUMAR KUJUR

VILL.-SAHIDAND, BAGICHA, JASHPUR,
Chhattisgarh, 496224

रोल नं. : 239

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JULIUS KUJUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SOMPRAKASH

VILL.- MOKHA, POST- RAJOLI, TAH-
GUNDARDEHI, BALOD, Chhattisgarh, 491222

रोल नं. : 240

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAXMAN RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJEEV NARAYAN

WARD NO- 15, SCHOOL PARA, BANARI, POST-
BANARI, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 241

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MADHAV PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHAND BHIMTE

VILLAGE- TUMADI, POST- NEWARGAON, TEH-
WARASEONI, , BALAGHAT, Madhya Pradesh,
481331

रोल नं. : 242

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY BHIMTE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIL KUMAR KHUNTE

VILLAGE- BELHADH, POST- LAWSARA, TAH-
BARADWAR, , SAKTI, Chhattisgarh, 495689

रोल नं. : 243

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

FIRANGI LAL KHUNTE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANISH KUMAR CHAUHAN

BHAEROTAL, SURKACHHAR,, KORBA,
Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 244

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ARUN KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VISHNU PRATAP NAMDEV

WARD NO. 8, JODHPUR, NEAR SHANKAR
MANDIR, SOHAGPUR, SHAHDOL, Madhya Pradesh,
484001

रोल नं. : 245

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DEVA PRASAD NAMDEV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UMESH KUMAR

WARD NO. 15, SCHOOL PARA, BANARI, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 246

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NANDKISHORE DHIVAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PURUSHOTTAM MIRI

WARD NO. 3, KRISHCHAN PARA, AMERI,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 247

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KRISHNA KUMAR MIRI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHANDRASHEKHAR

VILL.- BARPARA, POST- MANSUKH, KOREA,
Chhattisgarh, 497335

रोल नं. : 248

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHIVBACHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJEEV RANJAN BHAGAT
VILL-MADNESHWARPUR, POST-KAKNA, TEH-
RAJPUR, BALRAMPUR, Chhattisgarh, 497001

रोल नं. : 249

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY KUMAR SINGH BHAGAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MOTI LAL

VILL-KUKDA, POST-GODHANA, TEH-
SHIVRINARAYAN, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 250

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMAVTAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHEKH RIZWAN
TARBAHAR MEN ROAD NAGINA MASJID KE
PAAS KRISHNA ALUMINIUM KE UPAR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 251

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHEKH PAPPU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NAND KISHOR

VILL-KUKDA, POST-GODHANA, TEH-
SHIVRINARAYAN, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 252

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SURESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VINOD KUMAR RATREY

VILL&POST-KODABHAT, THANA-PAMGARAH,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 49554

रोल नं. : 253

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMGOPAL RATREY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAUTAM KUMAR SAHU

VILL- GONDAIYA, POST- RANIGAON, THANA-
RATANPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 254

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAXMI PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BALICHAND

VILL+ POST- SALKHAN, WARD NO. 02, UPARDIH
PARA, BLOCK- NAWAGARH, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 255

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANHARAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

UPENDRA KUMAR KAIWART

VILL- PAHANDA, POST- TILKEJA, KORBA,
Chhattisgarh, 495674

रोल नं. : 256

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANHARAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JAIRAM GADHEWAL

WARD NO-3, KOSMANDA, CHAR DABARI PARA,
SCHOOL PARA, TEH-CHAMPA, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495471

रोल नं. : 257

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTRAM GADHEWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PUSHPA VASTRAKAR

PODAR INTERNATIONAL SCHOOL KE PASS,
BHAGTGAON ROAD, THANA-MANA BASTI,
MANA CAMP, RAIPUR, Chhattisgarh, 492015

रोल नं. : 258

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

PANKAJ KUMAR VASTRAKAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HEMANT KUMAR SAHU

226, SCHOOL PARA, TEH-KASDOL, BALODA-
BAZAR, Chhattisgarh, 493335

रोल नं. : 259

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAGHUNANDAN PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MAHESH KUMAR VERMA

GRAM-PANDAR BHATTA, PO-KURA, THANA-DHARSIVA, RAIPUR, Chhattisgarh, 493221

रोल नं. : 260

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

FERU VERMA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKESH PRAJAPATI

73/33 KRISHNA NAGAR KYDGANJ , PRAYAGRAJ,
Uttar Pradesh, 211003

रोल नं. : 261

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

OM PRAKASH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RADHE SHYAM RAJPUT

VILLAGE- GATAPAR POST- KHAMHARIA, ,
BEMETARA, Chhattisgarh, 491338

रोल नं. : 262

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAGAWAN SINGH RAJPUT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MOHAMMAD RIZWAN MEMON

TAIBA CHOWK TALAPARA, SUNNI HUSAINI
MASJID KE SAMNE, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 263

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TAR MOHAMMAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KRISHNA KANT

VILLAGE- SONADULA, TEH- MALKHARODA,
SAKTI, Chhattisgarh, 495689

रोल नं. : 264

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHARAT LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AJAY KUMAR CHANDRA

VILLAGE- KIRIT, TEH.- NAWAGARH, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 265

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAWAHAR LAL CHANDRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RATHRAM PAIKARA

VILLAGE- ASNIND, POST-HATAUD BAZAR,
TEHSIL AND THANA-KASDOL, BALODA-BAZAR,
Chhattisgarh, 493335

रोल नं. : 266

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE RAM PAIKARA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKBAR KHAN

VILLAGE- VISHUNPUR (BARPARA), MAKAN
NO.-22, POST- POKSARI, TEHSIL-BATAULI,
SARGUJA, Chhattisgarh, 497101

रोल नं. : 267

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JALALUDDIN KHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMCHANDRA

JAIRAMNAGAR, POST- JAIRAMNAGAR, TEHSIL-
MASTURI, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 268

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HAJAREE LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEERAJ SAHU

VILLAGE-KAUWATAL,
TELIPARA, POST- SEEPAT,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495555

W.NO.-02,

TEHSIL-SEEPAT,

रोल नं. : 269

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MADAN LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TIPENDRA

W NO-06, JOGIYA PARA (SHYAMPUR),
NAWAGAON, RAIGARH, Chhattisgarh, 496116

रोल नं. : 270

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AWANTIKA PATHAK

H NO-182, PHASE-3, ALKA AVENUE COLONY,
USLAPUR STATION KE PASS, BILASPUR,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 271

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

AMITABH MANIKPURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANGLESHWAR KUMAR CHANDRA

VILL.- SALNI, TAH.- BHOBHIYA, SAKTI,
Chhattisgarh, 495690

रोल नं. : 272

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHARAT LAL CHANDRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PUSHPSAGAR TANDI

VILL.- BASNA, MAHASAMUND, Chhattisgarh,
493554

रोल नं. : 273

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAGATRAM TANDI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGESH YADAV

Q.NO. 17, PHASE-01, CITY PARK, MOPKA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 274

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

B N YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SAKET

VILL- DHANGAWA, POST- OKHAR, BLOCK-
MASTURI, BILASPUR, Chhattisgarh, 495551

रोल नं. : 275

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMCHARIT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ASHWANI KUMAR

WARD NO. 04, VILL- HARDI, POST- SIRALI, TEH-
JAIJAIPUR, SAKTI, Chhattisgarh, 495689

रोल नं. : 276

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MILAP RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SOHAN SINGH

VILL- PUTA, POST- MADANPUR, TEH- PODI
UPRODA, KORBA, Chhattisgarh, 495445

रोल नं. : 277

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

AJMER SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RUPENDRA KUMAR BARETH

GANDHI CHOWK KE SAMNE, BUDHWARI
BAZAR, WARD NO-16, H.NO.-634, KORBA,
Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 278

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANSAI BARETH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JAGESH KUMAR

H.NO-754, RAJIV NAGAR, DARRI JAMNIPALI,
KATGHORA, KORBA, Chhattisgarh, 495450

रोल नं. : 279

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DINESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH KUMAR SAHU

WARD NO-4, MAHADEV NAGAR, GHURU,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 280

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAGDISH PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MAHENDRA KUMAR KASHYAP

PO-SALKHAN, VIA-KHAROUD, TEH-
SHIVRINARAYAN, JANJGIR-CHAMPA,
Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 281

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANESH RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DUMENDRA KUMAR

GRAM-GUREDA, PO-DANGANIYA, TEH-
GUNDERDEHI, BALOD, Chhattisgarh, 491223

रोल नं. : 282

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAKESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DINESH KUMAR

GRAM-RAJABHATHA (BELHADIH), H.NO-173,
WARD NO-12, PO-LAVSARA, TEH-BARADWAR,
SAKTI, Chhattisgarh, 495689

रोल नं. : 283

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANOJ KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KISHRAM PATEL

VILL- BHAKURRA NAVAPARA, POST- RAJPUR,
TEH- TAKHATPUR, BILASPUR, Chhattisgarh,
495330

रोल नं. : 284

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SAWADHAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KISHOR KUMAR

VILL- SEWATI, POST- BARTORI, TEH- BILHA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495224

रोल नं. : 285

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HARI NARAYAN KASHYAP

88/3, SADAKPARA, MISDA, POST- MISDA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495557

रोल नं. : 286

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM PRASAD KASHYAP

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MAYANK KUMAR DWIVEDI

VILL- MADANPUR, WARD NO. 9, POST- SINGHRI,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 287

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHARMENDRA KUMAR DWIVEDI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HEMANT KUMAR

SHITLA MANDIR K PAS PURANI BASTI KOHKA
BHILAI, TEH- DURG, DURG, Chhattisgarh, 490023

रोल नं. : 288

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NAND KUMAR HARDEL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHAGWAT KUMAR SAHU

Q NO. G-44, 15 BLOCK SECL COLONY, KORBA,
Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 289

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HARIRAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

OMESH

VILL-POST- MEDESARA, TEH- DHAMDHA,
DURG, Chhattisgarh, 490036

रोल नं. : 290

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BASANT PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ARVIND KUMAR

VILL-POST- VINAYAKPUR, THANA- ANDA,
DURG, Chhattisgarh, 491221

रोल नं. : 291

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DINESHWAR CHANDRAKAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VINOD KUMAR GHRITLAHRE

VILLAGE- FARI, POST-BEEJABHAT, THANA AND
TEHSIL- BEMETARA, BEMETARA, Chhattisgarh,
491335

रोल नं. : 292

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHANDRIKA PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TARUN KUMAR DEWANGAN

PARSHURAM WARD, SANSAKAR SADAN KE
PASS, BHATAPARA (LALITDEWANGAN OM
TOILORS), BALODA-BAZAR, Chhattisgarh, 493118

रोल नं. : 293

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LALIT KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAHUL SONI

671 PADIMAR, BHADRAPARA, BALCO, W.NO.-27,
KORBA, Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 294

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHAKRADHAR SONI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRATIK LAKRA

VILLAGE- PANDARIPANI, POST- BHITGHRA,
TEHSIL- BAGICHA, JASHPUR, Chhattisgarh, 496224

रोल नं. : 295

लिंग : Male

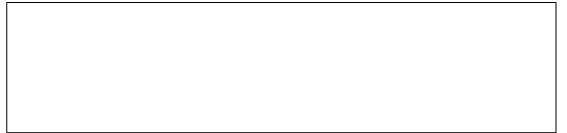
पिता/पति का नाम

RIMJIUS LAKRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ABHISHEK SINGH

W.NO.-45, PANI TANKI KE PASS, CHAUBE
COLONY, SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 296

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE RAM NAGINA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SARFARAZ AHMAD

BEHIND HUSSAINI MASZID, MAIN ROAD,
TALAPARA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 297

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SAEED AHMAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK

WARD NO. 50, HOME 47/235 BANKI MONGRA,
KORBA, Chhattisgarh, 495447

रोल नं. : 298

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DAYA RAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANJEEVAN TIRKEY

VILL.- NEEMTOLI, NEAR DAV PUBLIC SCHOOL,
GUMLA, Jharkhand, 835223

रोल नं. : 299

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ABDON TIRKEY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAVI KUMAR RAJGIR

NEAR SHANKAR AATA CHAKKI, KRISHNA
NAGAR, JUNA BILASPUR, BILASPUR,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 300

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GOKUL PRASAD RAJGIR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEEPAK SINGH THAKUR

WARD NO.- 21, JAIL ROAD, NEAR FOREST NAKA,
DONGARGARH, RAJNANDGAON, Chhattisgarh,
491445

रोल नं. : 301

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

POOJA DHURI

W NO-06, NAYAPAR, NAGAR PANCHAYAT BODRI,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 302

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

SUNIL KUMAR DHURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GHANSHYAM KEWAT

H NO-104, MANDIR CHOWK, SONADULA, POST-
PARSADIH, TEH-BILAIGARH, SARANGARH-
BILAIGARH, Chhattisgarh, 493338

रोल नं. : 303

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SONSAY KEWAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SATISH KUMAR

GRAM-LAKHOLI, BLOCK-BAMHANIDIH, TEH-
SURGOAN, JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh,
495660

रोल नं. : 304

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAMTA PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANAND KUMAR KAIWART

GRAM-GEWARA BASTI, KUSMUNDA SARSWATI
SHISHU MANDIR, KUSMUNDA KE PASS, KORBA,
Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 305

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TIHARU RAM KAIWART

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AKASH TRIPATHI

B-135, JAO NAGAR, GEVRA PARIYOJNA, KORBA,
Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 306

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHIV KUMAR TRIPATHI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUJIT KUMAR DHRUW

HQ/72, DIPKA COLONY, GEVRA PROJECT, SECL,
KORBA, Chhattisgarh, 495452

रोल नं. : 307

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARSHU RAM DHRUW

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KESHRI NANDAN SAHU

VILL-POST- KHORSI, TAH- PAMGARH, , JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495556

रोल नं. : 308

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAGDISH PRASAD SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KANCHOO RAM
VILLAGE- SINGPUR, POST- MUNMUNA, TAH-
PANDARIYA, KABEERDHAM, Chhattisgarh, 491559

रोल नं. : 309

लिंग : Male

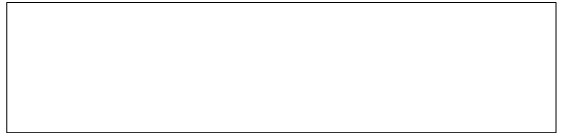
पिता/पति का नाम

JAGAU RAM MARKAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJA RAM

VILLAGE- KHARA, POST- JAIRAM NAGAR, THA-
MASTURI,, BILASPUR, Chhattisgarh, 495550

रोल नं. : 310

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PREM CHAND

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KEEMESH CHAUDHARI

VILL-POST- BAILODI, TAH- GUNDARDEHI,,
BALOD, Chhattisgarh,

रोल नं. : 311

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARAKH RAM CHAUDHARI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIMESH JAIN

DURG MANDIR KE PASS, WARD NO-12, AAMA
PARA WARD DHAMTARI,, DHAMTARI,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 312

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARENDRA KUMAR JAIN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIL BHAGAT

DINGAPUR I.T.I. RAMPUR , KORBA, Chhattisgarh,
495677

रोल नं. : 313

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

HIRA RAM BHAGAT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH SINGH

SUKNANDAN THAKUR KIRANA PURANA BUS
STAND, TAKHATPUR, BILASPUR, Chhattisgarh,
495330

रोल नं. : 314

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJU SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHANDRAKANT MARKANDE

BLOCK-12/C, SADAK-10, SECTOR-3, FIRE
BRIGADE COLONY POST- SECTOR-1, ,
BILASPUR, Chhattisgarh, 450001

रोल नं. : 315

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAMTA PRASAD MARKANDE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHANI KUMAR KAIWART

H.NO.282, WARD NO-62, GEVARA BASTI
KUSAMUNDA , KORBA, Chhattisgarh, 495454

रोल नं. : 316

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TIHARU RAM KAIWART

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIRENDRA VASTRAKAR

WARD NO. -12, MAHRA PARA JONKI, POST-
SAKRI, BILASPUR, Chhattisgarh, 495003

रोल नं. : 317

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE DHALGAN VASTRAKAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PARMESHWAR CHANDRA

VILL-ANDA, POST-KIRARI, TEH&THANA-
MALKHARAUDA, SAKTI, Chhattisgarh, 495695

रोल नं. : 318

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE MOHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJESH KUMAR CHOUHAN

DARRI SAHU MOHALLA KOHADIA, KORBA,
Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 319

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANHARAN CHOUHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEVENDRA KUMAR

WARD NO. 13 NEVSA, POST-JALI, THANA-
RATANPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495449

रोल नं. : 320

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PAWAN KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ARUNDHATI

VILL.- PACHEDA, P.O.- DHURKOT, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495668

रोल नं. : 321

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

GNESHU RAM BARETH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DINESH KUMAR

WARD NO.- 16, MANGAL BHAWAN, VILL.-
KHAMHARIYA, P.O.- KATHAKONI, TEH.-
TAKHATPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495003

रोल नं. : 322

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAUSHAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANUPAM

PANCHSHIL NAGAR, WARD NO-1, , BALODA-
BAZAR-BHATAPARA, Chhattisgarh, 493332

रोल नं. : 323

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANJAY KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BENU PRASAD

GRAM-CHICHBOARD, PO-BELMAND, BALOD,
Chhattisgarh, 491226

रोल नं. : 324

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHANKAR LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BASANT SAHU

H.I.G G/2, D3 AMBAR GALI NO.-03, ABHILASHA
PARISAR, NEW HIGHTEK BUS STAND,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 325

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAVKUSH SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANIL KUMAR SONI

TATA LINE, AGANBADI KE PASS, W.NO.-11,
SADAK NO.-24, KOHKA, SUPELA, BHILAI, DURG,
Chhattisgarh, 490023

रोल नं. : 326

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAY KUMAR SONI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LAXMI YADAV

WARD NO. 65, SANT NAMDEV NAGAR,
BANDHWAPARA, SARKANDA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 327

लिंग : Female

पिता/पति का नाम

BHIM BALI YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIRENDRA KUMAR NIRALA

VILL+ POST- TUSAR, WARD NO. 14, TEH-
JAJAIPUR, SAKTI, Chhattisgarh, 495690

रोल नं. : 328

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JAGDISH PRASAD NIRALA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAJRAJ SINGH

VILL- KHARABHARA, POST- LAFA, TEH+
THANA- PALI, KORBA, Chhattisgarh, 495449

रोल नं. : 329

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMAYAN SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANISH KUMAR YADAV

MIG-154, DEEN DAYAL COLONY, MANGLA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 330

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJESH KUMAR YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DIKENDRA KUMAR

BEHIND OF Q.NO. 8/D JHOPRI, SADAK 9,
SECTOR-04, BHILAI, DURG, Chhattisgarh, 490001

रोल नं. : 331

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MENGHU RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NARENDRA KUMAR SARTHI

VILL.- TARKELA, TAH- RAIGARH, RAIGARH,
Chhattisgarh, 496001

रोल नं. : 332

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE CHHOTELAL SARTHI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANURAG SINGH
WARD NO. 2, BELPAN ROAD, TAKHATPUR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495330

रोल नं. : 333

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PRADEEP SINGH THAKUR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SARVESH KUMAR PAINKRA

VILL.- MANPUR, TAH- BATAULI, BILASPUR,
SURGUJA, Chhattisgarh, 497101

रोल नं. : 334

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUKHSAY PAINKRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANKUJ KUMAR KUSHWAHA

LAXMANPUR, VILL- LAUA LAXMANPUR,, RIWA,
Madhya Pradesh, 486440

रोल नं. : 335

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ACHCHHELAL KUSHWAHA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAM CHANDRA SAHU

VILL.- BAGHUL, TEH-NAWAGARH, BEMETARA,
Chhattisgarh, 491337

रोल नं. : 336

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DHANIRAM SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRAVEEN KUMAR BHANDARI
DIWANTOLA, BAJARANGAPUR, NAWAGAON
RAJNANDGAON WARD NO- 02,, RAJNANDGAON,
Chhattisgarh, 491441

रोल नं. : 337

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SOHAN LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SUNIL KUMAR MAHTO

VILLAGE- SHALIHA BHATHA, SHIV MANDIR KE
PASS, BARPALI, KORBA, Chhattisgarh, 495674

रोल नं. : 338

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ARJUN LAL MAHTO

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SURENDRA KUMAR BHARDWAJ

FIRTU CHAAL KE SAMNE, RAMPUR I.T.I WARD
NO-33, KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 339

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KIRTAN LAL BHARDWAJ

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PRASHANT KUMAR TIWARI

PRASHANT TIWARI, MAHRAJ PARA, VILLAGE-
JONKI, POST- SAKRI, BILASPUR, Chhattisgarh,
495003

रोल नं. : 340

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ASWANI KUMAR TIWARI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHEKH REHESUDDIN

BHARAT CHOWK, TALAPARA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 341

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHAIKH SAFARUDDIN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SAGAR RAO KRIDUTT

H.NO.-3953, RAWATPURA COLONY, PHASE-2,
SATI MATA MANDIR, GALI NO.-1,
MATHPURAINA, RAIPUR, Chhattisgarh, 492013

रोल नं. : 342

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

YASHWANT RAO KRIDUTT

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEEL KAMAL

INDIRA NAGAR, DUNDERA POST- DUNDERA,
DURG, Chhattisgarh, 491107

रोल नं. : 343

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANESH RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEVVRAT SHING YADAV

VILLAGE- FULWARIPARA (SHIVPUR) POST-SILLI,
TEHSIL-PALI, KORBA, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 344

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JEEVAN LAL YADAV

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAMRATAN

WARD NO.- 07, KALIKA NAGAR, SURYAWANSHI
MOHALLA, TIFRA, BILASPUR, Chhattisgarh,
495001

रोल नं. : 345

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RADHESHYAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIJAY KUMAR

VILL.- DAMAPUR, P.O.- PRATAPPUR, TEH.-
DADHI, BEMETARA, Chhattisgarh, 491337

रोल नं. : 346

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

JUTHEL RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANDEEP KUMAR

VILL.- KARUMOUHA, P.O.- BUNDELI, KORBA,
Chhattisgarh, 495683

रोल नं. : 347

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SIRAT LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PREMSHANKAR
VILL.-SANKARA, P.O.- BHOTHLI, THANA-
ARJUNI, DHAMTARI, Chhattisgarh, 493773

रोल नं. : 348

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMKUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GAUTAM KUMAR SAHU

VILL.- GOINDAIYA, P.O.- RANIGAON, THANA-
RATANPUR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495442

रोल नं. : 349

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LAXMI PRASAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NEEL KAMAL

INDIRA NAGAR, DUNDERA, P.O.- DUNDERA,
DURG, Chhattisgarh, 491107

रोल नं. : 350

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GANESH RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

THAKUR RAM DEWANGAN

VILL- SAFED KHADAN, DEORIKHURD,
BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 351

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DUKALOO RAM DEWANGAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SURAJ KUMAR PANNA

WARD NO. 15, GADDHA DAFI, HALDIBADI,
CHIRMIRI, MCB, Chhattisgarh, 497451

रोल नं. : 352

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BALAM SAI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NANDKISHOR

VILL+ POST- NEORA, TEH- TAKHATPUR,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495112

रोल नं. : 353

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SUNDER LAL KUMBHKAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

FALENDRA KUMAR

WARD NO. 03, VILL- KODIYA, POST- PAUWARA,
DURG, Chhattisgarh, 491107

रोल नं. : 354

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

AMARDEEP SINGH

PLOT NO. 9/B, WARD NO. 16, SUNDER VIHAR, I.E.
BHILAI, DURG, Chhattisgarh, 490026

रोल नं. : 355

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BALVINDER SINGH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HATKESHWAR BHARTI GOSWAMI

GRAM-MUDPAR, PO-KANASDA,
SHIVRINARAYAN, TEH-NAWAGARH, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 495557

रोल नं. : 356

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARMESWAR BHARTI GOSWAMI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHEKHAR KUMAR

WARD NO-12, BAJRANG CHOWK, MAGARLOAD,
DHAMTARI, Chhattisgarh, 493662

रोल नं. : 357

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LATE KISHOR KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DURGESH SAHU

GRAM-KATHOUTIYA, PO-CHHIRHA, BEMETARA,
Chhattisgarh, 491337

रोल नं. : 358

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAJESH SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGESH KUMAR SEN

H.NO.-443/10, WARD NO-41, SUBHASH NAGAR,
MITAN CHOWK, KELABADI, DURG, Chhattisgarh,

रोल नं. : 359

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMRATAN SEN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

JITENDRA KUMAR PAHARI
SATYAM CHOWK BHILAI-3, DURG, Chhattisgarh,
490021

रोल नं. : 360

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTU LAL PAHARI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPENDRA UPADHYAY

M NO. 77 ABADIPARA, VILL- CHIKHLI, POST-
TIPNI, THANA- KHAMHARIYA, BEMETARA,
Chhattisgarh, 491338

रोल नं. : 361

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ARUN UPADHYAY

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DURGESH KUMAR NISHAD
MU-POST- BACHHAUD, TEH- THANA- DABHRA,
SAKTI, Chhattisgarh, 495692

रोल नं. : 362

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHAGIRATHI NISHAD

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VIPIN TOPPO

BONIFACE EKKA 1422/49 RESIDENCE OPPOSITE
TO NIKHIL ASHRAM NEAR BAHATRAI
STADIUM, BILASPUR, Chhattisgarh, 495006

रोल नं. : 363

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

TARSICIUS TOPPO

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ANURAG

MU- PARSADIH, POST- SINGHRA, THANA- TEH-
MALKHARODA, SAKTI, Chhattisgarh, 495691

रोल नं. : 364

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LEELADHAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHAIENDRA KUMAR SAHU

H NO. 32, WARD NO. 6, SCHOOL CHOWK,
MALHAR, BILASPUR, Chhattisgarh, 495551

रोल नं. : 365

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LALJEE SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

VAKESHWAR SAHU

PADEPARA SHITLAPARA GOBRA NAVAPARA,
RAIPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 366

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MOHAL LAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KISHAN KUMAR KASHYAP
WARD NO. 32 MANNU CHOWK GALI NO. 2
SHIVAJI MARG TIKRAPARA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 367

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KASHYAP

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DILIP KUMAR SIDAR

SHAHEED VEER NARAYAN SCHOOL PADIBHAR
BALKO NAGAR, KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 368

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

ANAND RAM SIDAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MUKUL KUMAR
WARD NO. 11, HOUSE NO. 178, BLOCK COLONY,
RAIPUR, Chhattisgarh, 493221

रोल नं. : 369

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMESH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJ KUMAR

SANT GAHIRA GURU ASHRAM, WARD NO. 46
PACHPEDI PARSAPALI, AMBIKAPUR, SURGUJA,
Chhattisgarh, 497001

रोल नं. : 370

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

FULSAI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAKESH KUMAR

VILL.- DHOBANPURI, POST-SORAR, TAH-
GURUR, BALOD, Chhattisgarh, 491227

रोल नं. : 371

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KEWAL RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

HEMENDRA KUMAR BANJARE

JORAPARA, SARKANDA, BILASPUR, Chhattisgarh,

रोल नं. : 372

लिंग : Male

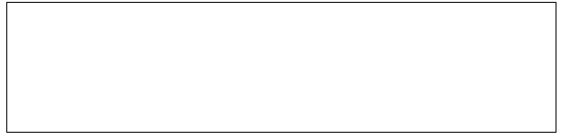
पिता/पति का नाम

A R BANJARE

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SANTOSH KUMAR SAHU

BADHE TALAB ROAD, JAMNIPALI, NTPC
KORBA, TEH-DARRI, KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 373

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMSANEHI SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NITISH DAS

GRAM-BARPALI, POST-BIRKONA, AKALTARA,
JANJGIR-CHAMPA, Chhattisgarh, 495552

रोल नं. : 374

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

MANI DAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RUPESH KUMAR SHRIVAS

POST-BUNDELA, VYHA-KHAROD, TEH-
PALMGARH, THANA-SIVRINARAYAN, JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 375

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

FULCHAND SHRIVAS

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

SHEIKH SARFRAZUDDIN

TAIBA CHOWK KHAN BADI TALAPARA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495001

रोल नं. : 376

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHEIKH NASIRUDDIN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ARJUN DHURI

WARD NO-01, DAIHAN PARA, CHHATAUNA,
BILASPUR, Chhattisgarh, 495220

रोल नं. : 377

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

PARAS RAM DHURI

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

YOGENDRA PAINKRA

S/O AMRESH PAINKRA, VI- KEWRI, POST-TEH-
LAKHANPUR, SURGUJA, Chhattisgarh, 497116

रोल नं. : 378

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

AMRESH PAINKRA

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

BHUPENDRA SAHU

SAHU MOHALLA, KERA, BLOCK-NAWAGARH,
TAH- SHIVRINARAYAN, WARD NO-15 , JANJGIR-
CHAMPA, Chhattisgarh, 49557

रोल नं. : 379

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHARAT LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

PAWAN

PAJU, TEH- LOHARU, , BHIWANI, Haryana, 127201

रोल नं. : 380

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAMESH

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

KUBER RAM SAHU

VILL-POST- KIRWAI, TAH-THA- RAJIM,
GARIYABAND, Chhattisgarh, 493885

रोल नं. : 381

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

DWARIKA SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

CHHATTAR SINGH

RAMKRISHNA MISSION I.T.I. AWASEYA
PARISAR, BLOCK I-2, QUARTER NO-16,
NARAYANPUR, BASTAR, Chhattisgarh, 494661

रोल नं. : 382

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

RAM LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)

समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

LOMASH PRASAD

WARD - NAYAPARA, VILL- SONSARI, POST
OFFICE -SON, TAH- PACHPEDI,, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495551

रोल नं. : 383

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

GORE LAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANOJ KUMAR
PO- DARRIGHAT, NAYAPARA DAMA, BILASPUR,
Chhattisgarh, 495551

रोल नं. : 384

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

LALA RAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

MANISH SHYAM
PURAINHA PARA, WARD NO. 5, SAKTI, SAKTI,
Chhattisgarh,

रोल नं. : 385

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

KAMLESH SHYAM

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ASLAM KHAN

BUDHAWARI PARA WARD NO.-13, TEH-
DONGARH, RAJNANDGAON, Chhattisgarh, 0

रोल नं. : 386

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHAMSHAD KHAN

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

ASHUTOSH KUMAR KEVARTY

H.NO.-G-7, JEL POLICE LINE , KORBA,
Chhattisgarh, 495677

रोल नं. : 387

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

VIJAY KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

GOKUL PRASAD

VILL-POST- JATRI, TEH- PUSOR, RAIGARH,
Chhattisgarh, 496100

रोल नं. : 388

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

CHHABILAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

NIRAJ JAISWAL

VILLAGE AND POST- SILTARA, THANA-
DHARSIVA, TEHSIL- RAIPUR, H.NO.-44, J K
TOWNSHIP, GURUFUEL KE PICHHE, RAIPUR,
Chhattisgarh, 493111

रोल नं. : 389

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

BHOLA NATH JAISWAL

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठें रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे- निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

RAJENDRA KUMAR SAHU

MAKAN NO.-54, W.NO.-13, SAHU MOHALLA,
KORBA, Chhattisgarh,

रोल नं. : 390

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

NARSINGH DAYAL SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राइवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

TIPENDRA

W.NO.-06, JOGIYA (SHYAMPUR), NAWAGAON,
RAIGARH, Chhattisgarh, 496116

रोल नं. : 391

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SANTOSH KUMAR

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-
रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
स्टॉफ कार ड्राईवर के पद हेतु लिखित परीक्षा के लिये
प्रवेश-पत्र

आवेदक का नाम एवं पता :

DEVENDRA KUMAR SAHU
VILLAGE AND POST- PISID, SCHOOL CHOWK,
W.NO.-01, TEHSIL-KASDOL, BALODA-BAZAR,
Chhattisgarh, 493335

रोल नं. : 392

लिंग : Male

पिता/पति का नाम

SHIVNANDAN SAHU

स्वप्रमाणित
वर्तमान
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

लिखित परीक्षा केंद्र :

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,
कोनी पुलिस थाना के सामने, रतनपुर रोड,
कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)



लिखित परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

लिखित परीक्षा दिनांक – 03 अगस्त, 2025 (रविवार)
समय – प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

जारीकर्ता अधिकारी

Sd/-

रजिस्ट्रार जनरल

नोट:—लिखित परीक्षा स्थल में अभ्यर्थी अपनी पहचान के संबंध में अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/वोटर आई.डी. कार्ड में से किसी एक की मूल प्रति एवं प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश

1. आप लिखित परीक्षा के दिन लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व (प्रातः 10.00 बजे) लिखित परीक्षा स्थल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात् आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जावेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
3. लिखित परीक्षा के उपरांत आप अपना प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को परीक्षा कक्ष में उपस्थित वीक्षक (Invigilator) को अनिवार्य रूप से सौंपें।
4. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् आप अपने स्थान पर ही तब तक बैठे रहेंगे जब तक वीक्षक (Invigilator) द्वारा आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाती।
5. नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करें।
6. लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प पर गोला (A) का निशान चिह्नित करें अन्य निशान (जैसे ●, √ इत्यादि) का प्रयोग किये जाने अथवा एक से अधिक विकल्पों पर निशान लगाये जाने पर अथवा उत्तर परिवर्तित किये जाने पर उत्तर को अमान्य माना जायेगा एवं उसमें कोई भी अंक नहीं दिया जायेगा।
7. किन्हीं कारणवश यदि उपरोक्त तिथि को लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना संभव न हों तो परीक्षा की आगामी तिथि की सूचना छ.ग. उच्च न्यायालय के वेबसाइट <https://highcourt.cg.gov.in> पर दी जायेगी।
8. परीक्षा में किसी भी प्रकार के बैग, पर्स, स्कार्फ, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आना पूर्णतः वर्जित है। उक्त सामान/उपकरण परीक्षा कक्ष में लाने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है तथा आपके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
9. प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका में जो पूछा गया है इसके अतिरिक्त जैसे— निशान, प्रतीक या अपनी पहचान ना लिखें अन्यथा आपकी उम्मीद्वारी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
10. यात्रा, परिवहन व ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं ही करना होगा।
11. दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है।
